

रमेश चन्द बनाम अशोक कुमार
30/2025

9/4/25

प्राची/वादी के प्राथमिक श्रावण पत्र को
विज्ञा किर्मे जागे पर पणवणी आछ तणव
की जाकर पेडा डडो प्राची/वादी के प्राथमिक
पर लुका गयो। वादी उक्त वाद मे आगामो
कोई कार्यवाही नही चाहेण हे वाद को स्वेच्छा
से सिप्रा काला चाहेण हे। वादी के प्राथमिक
के आधार पर वादी के वाद को विज्ञा सिप्रा
जाला हे। पणवणी दम नामा से कक वेका
वाद ल कमीक दाखिल इफ्तार हो। (सुनाओ)

उप-सप बलेश्वर
न्याय दिग्गज

समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
जयपुर महानगर-सांगानेर

राजस्व वाद संख्या 30/2025

रमेश चन्द बलाई बनाम अशोक कुमार बैरवा व अन्य

सूचना

- नाम :- श्री रमेश चन्द बलाई
पिता का नाम :- श्री बाबूलाल बलाई
आयु :- 45 वर्ष
जाति :- बलाई
निवासी :- ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील सांगानेर, जिला
जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
मोबाईल नं. :-
व्यवहार का पता :- ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील सांगानेर, जिला
जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
अधिवक्ता का नाम :- कैलाश शर्मा एडवोकेट,
अधिवक्ता का मो. नं. :- 9460334120
रजिस्ट्रेशन नं. :- R1542/2003
अधिवक्ता की ईमेल :- Kailashsharma9497@gmail.com

अण्डरटैकिंग

मैं रमेश चन्द बलाई उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल बलाई जाति बलाई
निवासी ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान
प्रान्त का हूँ तथा निम्न प्रकार से अण्डरटैकिंग देता हूँ कि भविष्य में उक्त
सूचना में कोई भी परिवर्तन होने की दशा में मैं न्यायालय को इस बाबत
सूचित कर दूंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध रहूंगा।

स्थान :- सांगानेर

दिनांक :- 24/1/25

वादी

रमेश चन्द

(रमेश चन्द बलाई)